

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

परियोजना निदेशक का कार्यालय

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका
अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या05...../2017

1. विज्ञापन दाता का नाम :- परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :- दिनांक 26.12.2017 को 3.00 बजे अप0 तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 27.12.2017 को 3.00 बजे अप0 तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 27.12.2017 को 3.30 बजे अप0
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- नगर थाना, दुमका
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :- नगर थाना, दुमका
7. कार्य की विवरणी :-

क्र 0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि (2%)	परिमाण विपत्र	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास - 01, प्लस - 02 जिला स्कूल, दुमका (जिला स्कूल के पीछे)	2396200.00	48000.00	5000.00	दो माह
2	जे0पी0एस0सी0 कल्याण छात्रावास (अ0ज0जा0), दुमका (पुराना विश्वविद्यालय के पीछे)	2297400.00	46000.00	5000.00	दो माह
3	50 शैय्या आदिम जनजाति कल्याण छात्रावास, ए0एन0 कॉलेज, दुमका	1976500.00	39600.00	5000.00	दो माह
4	अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास - 02, प्लस - 02 नेशनल स्कूल, दुमका	1252600.00	25100.00	2500.00	दो माह

नोट :- निविदा की आवश्यक शर्तें आई0टी0डी0ए0, दुमका कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं जिला के www.dumka.nic.in बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

R4/217

परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

निविदा की शर्तें :-

1. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।
2. निविदाकारों को भवन प्रमंडल में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी अथवा समुचित श्रेणी से एक श्रेणी उपर निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
3. परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदाकारों को अद्यतन निबंधन एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। आरोपी संवेदक की निविदा अमान्य कर दी जाएगी।
4. कार्य अनुभव प्राप्त निविदादाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। निविदादाताओं को उनके द्वारा पिछले 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण कराये गये समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा कागजात के साथ संलग्न करना होगा। ईट का चाहर दिवारी कार्य भवन के कार्य के समान मान्य नहीं होगा।
5. निविदाकारों द्वारा बंद लिफाफा में निविदा डालते समय अद्यतन निबंधन, चरित्र प्रमाण पत्र आयकर एवं जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर की छाया प्रतियाँ जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने अथवा एक से अधिक संवेदक के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
8. अग्रधन राशि (2 प्रतिशत) परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति कर राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवाँ निर्गम) 3/5 वर्षीय सावधि जमा जो झारखण्ड राज्य के किसी भी डाकघर से निर्गत हो, के रूप में जमा करना होगा।
9. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञप्ति होगा एवं अदायगी पर (जो लौटाया नहीं जाएगा) परिमाण विपत्र निर्गत किया जाएगा। बैंकर्स चेक भारतीय स्टेट बैंक, दुमका के मुख्य शाखा में भुगतये होगा।
10. सरकार द्वारा दी गई वर्तमान/तत्काल प्रभावी मजदूरी दर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को अपना दर शब्दों एवं अंको में दर्ज करना होगा एवं निविदा दाता द्वारा परिमाण विपत्र में अंकित दर से 10 प्रतिशत की कम सीमा से आगे उदघृत कम दर मान्य नहीं होगा।
12. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सीमेंट (जे0पी0 एवं ए0सी0सी0) छड़, (सेल या टाटा टिस्कॉन) जिंदल इलोकट्रो स्टील चिप्स, ईट, बालू आदि का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ कार्यस्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख-रखाव तथा व्यवस्था संवेदक को निजी खर्च पर वहन करना होगा।
13. परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।
14. निविदा डालने से पूर्व निविदाकार कार्य स्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे साथ ही प्राक्कलन पढ़कर, दर तथा स्थल पर जमीन की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होकर ही निविदा डालेंगे।
15. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन संवेदक को अपने खर्च पर स्वयं समर्पित करना होगा।
16. श्रमिक उपकर के रूप में किये गये कार्य के विपत्र से नियमानुसार जी0एस0टी0/बिक्री कर, आयकर, श्रमिक उपकर (लेबर सेस), रॉयल्टी एवं खाली बोरा का मूल्य आदि की कटौती विपत्र से की जायेगी।
17. वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे जिनके पास पूर्व से आवंटित कार्य लंबित है या किसी प्रकार का किसी भी विभाग के साथ धोखा-धड़ी का मामला या अन्य कानूनी कार्रवाई लंबित होगा। इस आशय का उन्हें शपथपत्र देना होगा।
18. कार्य आवंटन के सात दिनों के अंदर संवेदक को एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, साथ ही कार्य योजना भी समर्पित करना अनिवार्य होगा।
19. संवेदक अपने खर्च पर योजना के क्रियान्वयन स्थल पर विभाग द्वारा कार्यान्वित संबंधित शिलापट्ट कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लगाना अनिवार्य है।

21/12/11

परियोजना निदेशक,

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,

दुमका

ज्ञापांक/आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक

प्रतिलिपि :- स्थानीय प्रतिनिधि, प्रभात खबर/हिन्दुस्तान को निविदा आमंत्रण सूचना का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वे सन्थाल परगना प्रमंडल में प्रकाशित होने वाले अपने संस्करण में इस आशय की सूचना का प्रकाशन DAVP दर पर कम से कम वर्ग सें0 मीटर करेंगे। कार्यालय में विपत्र समर्पित करने के उपरान्त इसकी भुगतान की जायेगी।

Rajendra
परियोजना निदेशक,

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 1109...../आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 14/12/12

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि निविदा की विवरणी को अपने जिला के बेवसाईट www.dumka.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

Rajendra
परियोजना निदेशक,

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित मूल्य (₹)	अनुमानित मूल्य (₹)	अनुमानित मूल्य (₹)	दो माह
1	अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण	2385000.00	1500000.00	885000.00	दो माह
2	अनुसूचित जाति विकास अभिकरण	2787100.00	2485000.00	302100.00	दो माह
3	अनुसूचित जाति विकास अभिकरण	1976300.00	980000.00	996300.00	दो माह
4	अनुसूचित जाति विकास अभिकरण	1252500.00	231000.00	1021500.00	दो माह

नोट :- निविदा को अनुरोध है कि सन्थाल परगना प्रमंडल कार्यालय में सूचना पर पर जिला के www.dumka.nic.in बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

Rajendra
परियोजना निदेशक,

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका